झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक/इंटर/मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल)/मध्यमा/ व्यावसायिक परीक्षा,2011 के प्रमाण पत्रों में हुए त्रुटि संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना।

विज्ञप्ति संख्या - 68/2011

एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक/इंटर/मदरसा(वस्तानियाँ से फाजिल)/मध्यमा/ व्यावसायिक परीक्षा, 2011 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय /महाविद्यालय/मदरसा के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/प्रधान मौलवी को सूचित किया जाता है कि

(1) जिन छात्रों के अंक पत्रक आदि में नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, सूचीकरण संख्या आदि में त्रुटि हो तो ऐसे छात्र अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्रक की छाया प्रति के साथ) **दिनांक 30.07.2011** तक संबंधित विद्यालय/ महाविद्यालय/मदरसा में नि:शुल्क जमा करेंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/ प्रधान मौलवी सभी आवेदनों को सूचीबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में **दिनांक 05.08.2011** तक अवश्य ही जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क ₹400/- (चार सौ रूपये) के साथ आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

(2) अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय/मदरसा के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/प्रधान मौलवी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में **दिनांक 30.07.2011** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) मदरसा परीक्षा, 2011 के क्रॉस लिस्ट, अंक पत्रक (Marks sheet) तथा औपबन्धिक प्रमाण पत्र **दिनांक 06.07.2011** से मदरसा के प्रधान मौलवी अथवा उनके द्वारा अधिकृत दूत के माध्यम से परिषद् कार्यालय, राँची एवं क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका (संथाल परगना प्रमण्डल के लिए) से प्राप्त कर लेंगे।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/माध्यमिक/9731/11/SECY/343/11
Dt. 02.07.2011
D.O.P. 03.07.2011